न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. (01/2019) 15/2023

भंवरलाल पुत्र घासी जाट निवासी ग्राम करांटी पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर

बनाम

1. हीरालाल पुत्र श्रीराम जाट निवासी ग्राम करांटी
2. ग्राम पंचायत करांटी जरिये सरपंच/ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्रा.पं. करांटी ।
3. पंचायत समिति भिनाय जरिये प्रधान/विकास अधिकारी पं.स. भिनाय, जिला अजमेर।

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री मिठूसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री महावीर गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांक 09.10.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने परिवार के साथ ग्राम करांटी में आबादी भूमि में बने अपने मकानों में पूर्वजों के समय से अलग–अलग निवास करते आ रहे है, जिनके सार्वजनिक आम रास्ते से आने जाने का सुखाचार प्राप्त है। उस रास्ते के अलावा अन्य कोे रास्ता मौके पर नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 से मिली भगत कर गुपचुप तरीके से विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल पट्टा सं. 30 बुक नं. 20 दिनांक 20.04.2016 जारी किया है। जबकि मौके पर अप्रार्थी का कोई मकान इत्यादि नहीं है एवं आम रास्ते की भूमि को पट्टा में वर्णित क्षेत्रफल में जोड़कर जारी किया है जो बिना सार्वजनिक सूचना एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना पड़ौसियों से आपत्ति प्राप्त किये अवैधानिक रूप से जारी किया है निरस्तनीय है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 ने पट्टा सं. 01 दिनांक 22.02.2014 को जारी किया है जो अप्रार्थीगण की नियत में खोट जाहिर करता है। प्रार्थी ने एक शिकायत पत्र बाबत पट्टा निरस्तीकरण दिनांक 17.09.2018 को जिला कलक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर, संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को प्रस्तुत किया परन्तु न्यायालय के अनुतोष हेतु प्रार्थी को हिदायत दी इस कारण यह निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपित पट्टा निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी ने अपने पुश्तैनी बाड़े में मकान बनाकर पट्टा जारी किया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है तथा अपने पुत्र सांवरलाल को दान कर दिया है जिसमें अप्रार्थी का पुत्र निवास कर रहा है। अप्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 सरपंच/ग्राम सेवक, वार्ड पंच एवं पड़ोस के व्यक्तियों

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

को साथ ले जाकर मौका निरीक्षण करने के बाद मौके का नाम चौप करके व नक्शा बनाकर 192 वर्गगज का दिनांक 20.04.2016 को पट्टा जारी किया गया जिसमें रास्ते की कोई भूमि शामिल नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 हीरालाल के ग्राम में दो मकान व बाड़े है जिसमें दोनो पुत्र शिवराज व सांवलाल अलग अलग निवास करते है जिसको अप्रार्थी ने अलग अलग मकान व पट्टे बनाकर सांवरलाल व शिवराज को दिये। जिसमें प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत करांटी के आदेश दिनांक 30.04.2016 के विरूद्ध पंचायत समिति की स्थायी समिति को सुनने का अधिकार है इसलिए प्रस्तुत निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पट्टा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खाली है, प्रस्तुत शपथ पत्र में भी पट्टा भूखण्ड बाबत दिशा एवं क्षेत्रफल रिक्त है। मौका जांच रिपोर्ट वार्डपंच एवं नक्शा फर्द में भी खाली कॉलम की पूर्ति नहीं है। उनमें कहीं भी मकान बाबत अंकन नहीं है। पंचायत की प्रोसेडिंग जिसमें पट्टा दिये जाने बाबत निर्णय लिया गया उसमें भी खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल आदि कॉलम खाली है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी पट्टा की जगह बाड़ा होना बताया। पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया वह बाड़ा का जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के नाम एक अन्य पट्टा सं. 01 दिनांक 22.02.2014 को जारी किया गया। एक ही व्यक्ति के दो आवासीय मकान नहीं हो सकते। फिर भी पंचायत द्वारा उक्त फर्जी पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी किया गया जो कि निरस्त योग्य होने से खारिज किया जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि पंचायत ने जो पट्टा जारी किया वह विधिपूर्वक किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के जवाब के विरूद्ध कोई जवाब–उल–जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थी ने एक ही रिलीफ के लिये दो अपील प्रस्तुत कर दी है। यदि पट्टे फर्जी है तो उनके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। पंचायत द्वारा जारी किये गये उक्त पट्टा का पंजीयन भी करवाया जा चुका है जिनके विरूद्ध सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार भी नहीं है। पट्टा प्राप्ति के आवेदन एवं अन्य कागजात प्रिंटेड फार्म है, अप्रार्थी पढ़ा लिखा नहीं होने से अपनी समझ के अनुसार कॉलम की पूर्ति की। अप्रार्थी को उक्त भूखण्ड विरासत से मिले और यह जरूरी नहीं कि विरासत से एक ही भूमि मिले। अप्रार्थी द्वारा पट्टावर्णित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर केवल हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है जो खारिज की जावे।

रिबटल बहस में प्रार्थी वकील ने कथन किया कि अप्रार्थी वकील ने भूमि विरासत से होना बताया लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। मौका रिपोर्ट एवं अन्य किसी दस्तावेज में मौके पर मकान होने बाबत अंकन नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हें अधिकतम 300 वर्गगज भूमि का पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी किये जाने का प्रावधान है।" ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा संबंधी रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे पूर्ति नहीं की गई। उसकी समीक्षा रिपोर्ट भी रिक्त है। वार्ड पंचों की जांच रिपोर्ट एवं नक्शा फर्द में भी आवेदित पट्टे बाबत रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की गई। केवल मात्र खाली फार्मेट पर हस्ताक्षर किये है। ग्राम पंचायत की पट्टा बाबत प्रोसेडिंग भी रिक्त है। जिससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व नियमों के आलोक मे ना तो विधिवत जांच की और ना ही नियमानुसार कार्यवाही की। अप्रार्थी का मौके पर किसी निर्माण/कब्जा बाबत भी रिपोर्ट पंचायत की जांच में अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रश्नगत निगरानी में पट्टा जारी करने वाली ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं किया जाने एवं बिना कब्जे की जांच किये पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत करांटी पंचायत समिति भिनाय द्वारा हीरालाल पुत्र श्रीराम जाट निवासी करांटी को जारी पट्टा संख्या 30 बुक संख्या 20 दिनांक 20.04.2016 को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/10/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी